**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2027**

**उत्तर देने की तारीखः 28.07.2014**

**कौशल विकास हेतु कार्य योजना**

**2027. श्री नरेश अग्रवालः**

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) कौशल विकास, जो कि सरकार की मुख्य कार्यसूची में शामिल रहा है, हेतु क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है;

(ख) क्या कौशल विकास के लिए नए संस्थान खोले जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो कौशल विकास के अंतर्गत किन विषयों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो कौशल विकास किस प्रकार किया जाएगा?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) : राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) को वित्त मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है जो एक अनन्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है। इस अधिसूचना की धारा 14(iv) के अनुसार इस एनएसक्यूएफ को आरंभ कराने के लिए कार्यान्वयन समय सूची संबंधी कार्य योजना निम्नलिखित होगीः-

(i) एनएसक्यूएफ की अधिसूचना के तत्काल बाद

क. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा) सहित सभी अन्य ढांचे समाप्त हो जाएंगे और एनएसक्यूएफ द्वारा अधिक्रमित हो जाएंगे।

ख. एनएसक्यूएफ अनुपालनकर्ता प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर सरकारी निधियां प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।

(ii) एनएसक्यूएफ की अधिसूचना की तीसरी वर्षगांठ की तारीख के बाद

1. एनएसक्यूएफ का अनुपालन न करने वाले किसी प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम को सरकारी निधियां प्राप्त नहीं होंगी।
2. सरकारी निधि प्राप्त करने वाली सभी प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाएं एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की पात्रता कसौटी परिभाषित करेंगी।
3. एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुसार सभी पदों के लिए पात्रता कसौटी परिभाषित करने के लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।
4. राज्य सरकारों को एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुसार सभी पदों के लिए पात्रता कसौटी परिभाषित करने हेतु अपने-अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती नियमों को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iii) एनएसक्यूएफ की अधिसूचना की पांचवीं वर्षगांठ की तारीख के बाद

1. सभी प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
2. सभी प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थाएं एनएसक्यूएफ स्तरों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता कसौटी परिभाषित करेंगी।

ऊपर उल्लिखित बातों के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनआईसीटीई, यूजीसी, बीओएटी और इग्नू की मार्फत निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहा हैः

1. प्रशिक्षु प्रशिक्षण।
2. नियोजनीयता विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी)
3. राष्ट्रीय नियोजनीयता विस्तार मिशन (एनईईएम)
4. जीविका उन्मुख पाठ्यक्रम (सीओसी)
5. पॉलीटेक्निक की मार्फत सामुदायिक विकास (सीडीटीपी)
6. सामुदायिक कॉलेज योजना
7. इग्नू की मार्फत कौशल विकास

**(ख) से (घ) :** कौशल विकास के लिए नई संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत में सभी सेक्टरों में कुशल जनशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने तथा कौशल की मांग और पूर्ति के बीच विद्यमान अंतर को कम करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के भाग के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (एनएसडीसी) की स्थापना की गई थी। एनएसडीसी को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन लाइसेंस शुदा गैर-लाभ कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एनएसडीसी अपने प्रशिक्षण साझीदारों द्वारा प्रदत्त 700 से अधिक पाठ्यक्रमों की मार्फत पूरे 27 उद्योग क्षेत्रों को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करती है। एनएसडीसी की क्षेत्र कुशल परिषदों ने 724 अर्हता पैकों (क्यूपी) की मार्फत लगभग 2027 राष्ट्रीय मानक (एनओएस) स्थापित किए हैं।

एनएसक्यूएफ के ढांचे के अधीन, यूजीसी ने 2 योजनाएं कार्यान्वित की हैं नामतः (i) सामुदायिक कॉलेज (ii) बी.वोक। दोनों योजनाएं पूरे देश में विश्वविद्यालों और कॉलेजों पर लागू हैं। यूजीसी ने सामुदायिक कॉलेज योजना के अधीन 150 (18 विश्वविद्यालयों और 132 कॉलेजों) को और बी.वोक डिग्री कार्यक्रम योजना के अधीन 127 (22 विश्वविद्यालयों और 105 कॉलेजों) को अनुमोदित किया है।

एआईसीटीई ने 14 क्षेत्रों और 67 विशिष्टियों का पता लगाया है जो [www.aicte-india.gov/vocationaledu.htm](http://www.aicte-india.gov/vocationaledu.htm) पर उपलब्ध हैं। एआईसीटीई ने एनवीईक्यूएफ (अब एनएसक्यूएफ) के अधीन एक क्षेत्र तथा 79 पंजीकृत कौशल ज्ञान प्रदाताओं तथा 381 तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा के एक प्रभाग के संचालन के लिए अपनी 8000 अनुमोदित संस्थाओं को भी अधिदेशित किया है। इसका विवरण [www.aicte-india.org/vocskp.html](http://www.aicte-india.org/vocskp.html) पर उपलब्ध है। एआईसीटीई ने समुदाय कॉलेज कार्यक्रम को संचालित करने के लिए 96 पॉलीटेक्निकों का भी अनुमोदन किया है।

\*\*\*\*\*